न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता

बईजलास श्री हीरालाल मीना, आ.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 289/2015

प्रार्थीनी :– वाल्मिकी धर्मपत्नी श्री धर्मीचंद, सुरेशचंद पुत्र श्री धर्मीचंद कौम दर्जी, निवासीगण पुन्दलू, तहसील मेड़ता, जिला नागौर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, मेड़ता।
2. पटवारी हल्का पुन्दलू

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक :– 19.07.2018

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी धर्मीचंद की जमीन पुराना खसरा नंम्बर 658 रकबा 2 बीघा 5 बिश्वा ग्राम पुन्दलू की सरहद में आयी हुई है थी, प्रार्थी धर्मीचंद फौत होने के बाद प्रार्थीनी पत्नी वाल्मीकि व पुत्र सुरेश के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गई थी। मौके प्रार्थी की धर्मपत्नी व पुत्र का काश्त व कब्जा उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। धर्मीचंद द्वारा उक्त भूमि को चूना भट्टा लगाने हेतु औद्योगिक में संपरिवर्तन की कार्यवाही करके समर्पण पत्र दिनांक 21.08.1989 को श्रीमान तहसीलदार साहब मेड़ता के समक्ष 5 रूपयें स्टाम्प पेपर पेश कर स्वीकृत कर दिया गया है। जिसका हल्का पटवारी पुन्दलू राज हक में समर्पणनामा दर्ज नही किया गया है। प्रार्थी धर्मीचंद द्वारा राज हक में समर्पण के बाद समर्पण का पत्र श्रीमान जिला कलक्टर नागौर के समक्ष पेश करने के बाद श्रीमान जिला कलक्टर नागौर द्वारा एक आदेश जारी कर एम.एफ.10(1115) राजस्व 90/3870 जिनके 03/07/1990 को धर्मीचंद पुत्र श्री नेमीचंद कौम दर्जी मैसर्स नाकोड़ा लाईम इंडस्ट्रीज पुन्दलू के नाम मौजा पुन्दलू के खसरा नम्बर 658 रकबा 2 बीघा 5 बिश्वा पैरा संख्या 2 के द्वारा 99 वर्ष की लीज कर दी गई थी जो सेवन राजस्व रेकर्ड में अमल

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

दरामद कार्यवाही नही की गई थी जो करने से शेष है। श्रीमान जिला कलक्टर के आदेश क्रमांक एफ 12(145) राजस्व/90/3865 दिनांक 08.07.1990 के द्वारा श्री धर्मीचंद पुत्र श्री नेमीचंद कौम दर्जी सा. पुन्दलू के श्रीमान उपपंजीयन के आदेश दिनांक 21.08.1990 पु. प्रथम जिल्द संख्या 196 पृष्ठ संख्या 94 क्रम संख्या 1403 के द्वारा पंजीयन कर दी गई है जिसका सहवन से राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नामान्तरकरण भरा गया व शुरू से लेकर आज तक लीज डीड का वार्षिक किराया पटवारी को समय–समय पर जमा करवाते आ रहे है वो रसीद साथ में लगी हुई है। सेटलमेंट विभाग द्वारा पुराने खसरा चम्बर 658 व नये खसरा नम्बर 4023 किये गये है पुराने खसरा नम्बर नियमानुसार सड़क से 100 मीटर छोड़कर तरमीम की गई थी लेकिन सेटलमेंट विभाग के कर्मचारीयों/अधिकारीयों द्वारा सड़क के पास तरमीम कर दी गई है, जो गलत है प्रार्थी का कब्जा सड़क सीमा से 100 मीटर छोड़कर है एवं मौके पर कब्जे पर कच्ची दीवार बनी हुई है। प्रार्थी, प्रार्थीनी की तरमीम मौके अनुसार की जावें। नये व पुराने नक्शे संलग्न है। अप्रार्थीगण राजस्व बोर्ड में अमल दरामद करने की भूमिधारी है, जिसको पक्षकार बनाया गया है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मौजा पुन्दलू के खसरा नम्बर 4023 रकबा 0.37 हैक्टेयर औद्योगिक प्रयोजनार्थ व राजस्व नक्शे में मौके अनुसार सही तरमीम कर नक्शे में शुद्धिकरण राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करावें।

2. प्रार्थी ने अपने प्रार्थन पत्र के समर्थन में मौजा ग्राम पुन्दलू की जमाबंदी सम्वत् 2068 से 2071, खाता संख्या 928, नक्शा ट्रेस, मृत्यु प्रमाण पत्र धर्मीचंद दर्जी मृत्यु दिनांक 10.09.1995, भू–प्रबंध विभाग द्वारा पर्चा नोटिस संख्या 477, आदेश जिला कलक्टर महोदय नागौर के क्रमांक एफ12(145)/रेवन्यु/90 सम/3870 दिनांक 30.07.1990, उद्योग विभाग नागौर का अंतिम पंजीकरण प्रमाण पत्र दिनांक 16.01.1991, लीज डीड दिनांक 21.08.1990, जमाबंदी ग्राम पुन्दलू सम्वत 2050 से 2053, खाता संख्या 231, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार को प्रेषित बाबत खातेदारी भूमि समर्पण, नक्शा ट्रेस फोटो प्रति, प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

द्वारा उपखण्ड अधिकारी मेड़ता को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 11.06.1990, उपखण्ड अधिकारी मेड़ता के पत्रांक/राजस्व/89/22 दिनांक 04.01.1990जो कि श्रीमान जिला कलक्टर महोदय नागौर को प्रेषित किया हुआ है, तहसीलदार मेड़ता का पत्रांक/राजस्व/89/373 दिनांक 01.09.1989 जो कि जिला कलक्टर महोदय नागौर को प्रेषित किया हुआ, चालान क्रमांक 273 दिनांक 06.07.1990 भूमि कीमत 90 रूपयें किराया 68 दिनांक 03.07.1990 से 02.07.1991, रसीद लीज किराया 399 दिनांक 06.03.2015, रसीद किराया नम्बर 20 दिनांक अपठनीय, रसीद संख्या 40 दिनांक 12.01.2017, रसीद संख्या 09 दिनांक 29.12.2012, रसीद संख्या 31 दिनांक 13.12.2003, रसीद संख्या 11 दिनांक 16.03.2010, रसीद संख्या 35 दिनांक 23.09.2010, रसीद संख्या 14 दिनांक 10.03.2000, रसीद संख्या 14 दिनांक 25.03.2001, रसीद संख्या 07 दिनांक 09.12.1998, रसीद संख्या 14 दिनांक 13.11.1997, चालान संख्या 163 दिनांक 06.10.1993 की फोटो प्रतियां पेश की।

3. तहसीलदार(भू.अ.) मेड़ता ने अपने पत्रांक भू.अ./शुद्धि/2018/1071 दिनांक 05.07.2018 द्वारा पटवारी हल्का पुन्दलू आई.एल.आर. गोटन की मूल रिपोर्ट मय अभिशंषा के साथ भिजवायी है जिसमें लिखा है कि (1) मौजा पुन्दलू की जमाबंदी संख्या 2050 से 2053 के खाता संख्या 231 के अनुसार पुराने खसरा नम्बर 658 मीन रकबा 2.05 बीघा की खातेदारी धर्मीचंद पुत्र श्री नेमीचंद कौम दर्जी के नाम दर्ज थी। (2) नामान्तरण संख्या 1388 के द्वारा धर्मीचंद फौत के स्थान पर सुरेशचंद पुत्र श्री धर्मीचंद, वाल्मिकी बेवा धर्मीचंद के नाम स्वीकार हुई। (3) भू–प्रबधं विभाग द्वारा पुराने खसरा नम्बर 658 मीन रकबा 2.05 बीघा के नये खसरा नम्बर 4023 रकबा 0.37 हैक्टेयर कायम किये गये एवं खातेदारी सुरेशचंद पुत्र श्री धर्मीचंद, वाल्मिकी पत्नी धर्मीचंद कौम दर्जी के नाम दर्ज की जो सही है। (4) भू–प्रबंध विभाग द्वारा नक्शा शीट में खसरा नम्बर 4023 का नक्शा ग़लत दर्ज कर दिया है।(5) मौके पर खसरा नम्बर 4023 सड़क के बीचं मध्य से 100 मीटर दूर है। जिसका नजरी नक्शा रिपोर्ट पर अंकित है।

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

(6) मौके पर नजरी नक्शे में मार्क ए, बी, सी, डी स्थान पर खसरा नम्बर 4023 स्थित है। (7) मिलान क्षेत्रफल अनुसार नया खसरा नम्बर 4023 व 4180, पुराने खसरा नम्बर 658 से कायम किये हुए है। अतः जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि नजरी नक्शे में मार्क ए, बी, सी, डी स्थान पर खसरा नम्बर 4023 को तरमीम किया जाकर शुद्धि किया जाना उचित है।

4. विद्वान वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई जिसमें उनका मुख्य तर्क यह था कि तहसीलदार मेड़ता द्वारा मौका एवं रेकर्ड की जांच कर अपनी रिपोर्ट भिजवायी है, जिसमें प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र की ताईद की है। अतः माफिक तहसीलदार रिपोर्ट प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नक्शा रेकर्ड में दुरूस्त करने के आदेश प्रदान करावें।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया विद्वान वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया तहसीलदार (भू.अ.) मेड़ता ने अपने पत्रांक भू.अ. /शुद्धि/2018/1071 दिनांक 05.07.2018 द्वारा पटवारी हल्का पुन्दलू आई.एल.आर. गोटन की मूल रिपोर्ट मय अभिशंषा के साथ भिजवायी है जिसमें लिखा है कि (1) मौजा पुन्दलू की जमाबंदी संख्या 2050 से 2053 के खाता संख्या 231 के अनुसार पुराने खसरा नम्बर 658 मीन रकबा 2.05 बीघा की खातेदारी धर्मीचंद पुत्र श्री नेमीचंद कौम दर्जी के नाम दर्ज थी। (2) नामान्तरण संख्या 1388 के द्वारा धर्मीचंद फौत के स्थान पर सुरेशचंद पुत्र श्री धर्मीचंद, वाल्मिकी बेवा धर्मीचंद के नाम स्वीकार हुई। (3) भू–प्रबंध विभाग द्वारा पुराने खसरा नम्बर 658 मीन रकबा 2.05 बीघा के नये खसरा नम्बर 4023 रकबा 0.37 हैक्टेयर कायम किये गये एवं खातेदारी सुरेशचंद पुत्र श्री धर्मीचंद, वाल्मिकी पत्नी धर्मीचंद कौम दर्जी के नाम दर्ज की जो सही है। (4) भू–प्रबंध विभाग द्वारा नक्शा शीट में खसरा नम्बर 4023 का नक्शा गलत दर्ज कर दिया है।(5) मौके पर खसरा नम्बर 4023 सड़क के बीच मध्य से 100 मीटर दूर है। जिसका नजरी नक्शा रिपोर्ट पर अंकित है। (6) मौके पर नजरी नक्शे में मार्क ए, बी, सी, डी स्थान पर खसरा नम्बर 4023 स्थित है। (7) मिलान क्षेत्रफल अनुसार नया खसरा नम्बर 4023 व 4180, पुराने खसरा

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

नम्बर 658 से कायम किये हुए है। अतः तहसीलदार मेड़ता नें जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि नजरी नक्शे में मार्क ए, बी, सी, डी स्थान पर खसरा नम्बर 4023 को तरमीम किया जाकर शुद्धि किया जाना उचित है। चुंकि तहसीलदार मेड़ता, आई.आर., पटवारी पुन्दलू द्वारा मौका एवं रेकर्ड की जांच कर रिपोर्ट भिजवायी है। अतः तहसीलदार(भू.अ.) मेड़ता की रिपोर्ट क्रमांक भू.अ./शुद्धि/2018/1071 दिनांक 05.07.2018 के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

6. तहसीलदार मेड़ता की रिपोर्ट क्रमांक भू.अ./शुद्धि/2018/1071 दिनांक 05.07.2018 द्वारा की गई अभिषंशा रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार की उक्त अभिषंशा रिपोर्ट निर्णय का भाग होगी। तहसीलदार मेड़ता यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश, अन्यथा कोई आदेश, विधिक बाधा नही हो तथा भूमि रहन नही हो तो नियमानुसार अपनी रिपोर्ट दिनांक 05.07.2018 के आधार पर राजस्व रेकर्ड में शुद्धि करे।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हीरालाल मीना
उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता

Scanned by CamScanner